

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

नो व तारीख अहकाम जो  
इस हुक्म की तारीख में  
जारी हुए

**न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर**

अपील संख्या- 04/2015 अंतर्गत धारा-91-ए(2)नगर विकास न्यास अधिनियम 1959  
(GCMS No. 2015/00173)

अनवान:

1. लीलाधर पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति माली निवासी इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर।
2. कन्हैयालाल पुत्र श्री तेजाराम जाति माली निवासी इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर।

**बनाम**

1. नगर विकास न्यास, बीकानेर जरिये सचिव।
2. अध्यक्ष भगवान सिंह चारण, श्री करणी विकास समिति, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, रामलीला पार्क, बीकानेर।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नहीं हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर



19.5.2025